

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2011— भाद्र 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. 1-09-41-बी-21-1140.— चूंकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश को यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर अस्थाई जांच चौकी स्थापित करता है और नाके का निर्माण करता है.

(2) यह जांच चौकी 1 सितम्बर, 2011 से 6 माह की अवधि के लिए स्थापित की जाती है.

अनुसूची

जांच चौकी एवं नाके के स्थान का नाम तथा विवरण (1)	जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति (2)
बहादुरपुर, जिला बुरहानपुर, बुरहानपुर-रावेर मार्ग पर	बुरहानपुर-रावेर मार्ग पर बुरहानपुर से (रावेर की ओर) 3-4 कि.मी. के मध्य.

No. 1-09-41-B-XXI-1140.—WHEREAS, the Commissioner of Commercial Tax, Madhya Pradesh is satisfied that it is necessary so to do with a view to prevent or vcheck evasion of tax under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002);

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Commissioner, Commercial Tax, hereby sets up temporary check post and erects barrier at the place specified in the schedule below;

(2) This check post is setup for a period of six months from 1st September, 2011.

SCHEDULE

Name and description of place of check post and barrier (1)	Location of check post and barrier (2)
Bahadarpur, District Burhanpur on Burhanpur-Raver Road.	Between 3-4 K.M. from Burhanpur (towards Raver) on Burhanpur-Raver Road.

शैलेन्द्र सिंह, आयुक्त.